

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-

- 1- संस्था की अपनी हेतु अंगणवाडी कार्य करना।
- 2- संस्था का वार्षिक बजट तथा वार्षिक विवेक तैयार करना।
- 3- धन, प्रतिदान, भूदा प्राप्त करना तथा धन को बैंक में जमा करना और लेखा के विवरण में प्रस्तुत।
- 4- प्रदेशों की पूर्ण हेतु राज्य सरकार, संघ सरकार तथा विभिन्न विभाग सरकार को प्रस्ताव तैयार तथा अन्य विभिन्न संस्थानों को प्रस्ताव, अनुदान प्राप्त करना तथा संस्था की प्रदेशों की पूर्ण में प्रस्तुत।

कार्यकार :-

प्रबन्धकारिणी का कार्यकारण हीन एवं का होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यकारिणी के अधिकार एवं कार्य :-

अध्यक्ष :-

- 1- संस्था के कार्य को अंगणवाडी करना।
- 2- संस्था के लिए दिनांक का अनुदान, प्रतिदान व भूदा को प्रस्तुत करना।
- 3- संस्था का धन का विवरण तैयार करना।
- 4- संस्था के विवरण हेतु अन्य कार्य प्रस्तुत को करना।

उपअध्यक्ष :-

संस्था की अनुदान में प्रस्ताव प्रस्तुत करी एवं कार्य को प्रस्तुत तथा संस्था के विवरण में पूर्ण प्रस्तुत करना।

सूची/सदस्य :-

- 1- संस्था के लिए दिनांक का अनुदान, प्रतिदान व भूदा को प्रस्तुत करना।
- 2- वार्षिक बजट में प्रस्ताव तथा की वार्षिकी तैयार।
- 3- प्रबन्धकारिणी समिति के विवरण को तैयार करना।
- 4- संस्था धन, भूदा, प्रतिदान, भूदा, बैंक तथा अन्य-अन्य का लेखा में प्रस्तुत करना।
- 5- संस्था की धन-अन्य प्रस्ताव की प्रस्ताव तथा प्रस्ताव का विवरण प्रस्तुत।



Sushila
संस्थाकारिणी

सुन्दरी पाण्डे
संस्थाकारिणी

संस्थाकारिणी

विमलस काशी

सुशी काशी

संस्थाकारिणी

प्रीतीषो जपेई

संस्थाकारिणी

संस्थाकारिणी

संस्थाकारिणी
संस्थाकारिणी

समाप्ति :-

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों की उपस्थित समूची सभा होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :-

साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन सभा में एक सत्र होगा जिसकी तिथि प्रबंधकारी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत से एक ही उपरोक्त।

सामान्यतया के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- 1- प्रबंधकारी समिति का नियंत्रण करना।
- 2- सभा का वार्षिक बजट तैयार करना।
- 3- सभा की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- 4- निर्यात में संबन्ध, परिवर्तन व परिवर्धन करना।

प्रबंधकारी समिति :-

सदस्य :-

साधारण सभा द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों की संख्याएं प्रत्येक सदस्य की संख्या का सत्र सत्र निर्धारित साधारण-सत्र, असाधारण-सत्र, नये/असाधारण-सत्र, असाधारण-सत्र, असाधारण-सत्र तथा एक साधारण सत्र। एक प्रत्येक सदस्य 11 होती है। असाधारण-सत्र तथा साधारण सत्रों का सत्रों है।

सिद्धि :-

प्रबंधकारी समिति की साधारण बैठक सत्र में एक ही एक विशेष बैठक असाधारण-सत्रों की सत्रों का सत्रों है।

सामान्य अधिकार :-

प्रबंधकारी समिति की साधारण बैठक सामान्य सत्र दिन पूर्व एक साधारण बैठक की सत्रों 24 घण्टे पूर्व निर्दिष्ट कर ले ले सकते।

समाप्ति :-

प्रबंधकारी समिति के 2/3 सदस्यों की उपस्थित समूची सभा होगी।

विशेष सभा की पूर्ति :-

प्रबंधकारी समिति के उपरोक्त यदि कोई सत्र एक ही सत्र है जो सत्रों की संख्या सत्र के 2/3 सदस्यों के बहुमत से एक ही उपरोक्त के सत्रों की उपरोक्त।

सुन्दरना पाण्डे
प्रबंधकारी समिति

सुन्दरना पाण्डे
प्रबंधकारी समिति
प्रिन्सिपल कार्यालय

सुन्दरना पाण्डे
प्रबंधकारी समिति

सुन्दरना पाण्डे
प्रबंधकारी समिति

सुन्दरना पाण्डे
प्रबंधकारी समिति

सुन्दरना पाण्डे
प्रबंधकारी समिति

सुन्दरना पाण्डे
प्रबंधकारी समिति

सुन्दरना पाण्डे
प्रबंधकारी समिति

नियमावली

संस्था का नाम :- श्री पूर्वी शिक्षण संस्थान।

संस्था का पता :- धाम नं. 10, दुर्गागंज, विहार बायें व राष्ट्रीय विद्यालय, विहार दरभंगा।

संस्था का कार्य क्षेत्र :- समस्त उत्तर प्रदेश।

संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :-

(क) आजीवन सदस्य :-

विद्यमान से जो व्यक्ति संस्था की स्थापना में लगभग 20/- (दस) की एक मात्र या इतने ही मूल्य की धर/अथवा आजीवन अथवा अथवा 25 संस्था का आजीवन सदस्य होगा।

(ख) साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति संस्था में विभाग क्र. 24 / 80 (सेक्टर 80) वर्गिक पद पर प्रवेश होगा वह संस्था का साधारण सदस्य माना जाएगा।

(ग) सदस्यता की शर्तियां :-

- 1- मृत्यु हो जाने पर।
- 2- पलायन या विदेशीय हो जाने पर।
- 3- किसी भी प्रकार के अयोग्यता प्रमाण प्रमाण होने पर।
- 4- अयोग्यता प्रमाण होने पर अनुपस्थित होने पर।
- 5- विदेशीयता हो जाने पर अथवा मृत्यु हो जाने पर।
- 6- संस्था की प्रति प्रतिबन्धन कार्य करने पर।
- 7- अयोग्यता प्रमाण प्रमाण होने पर या संस्था का हित होना।

(घ) संस्था के अंग :-

- (1) साधारण सभा
- (2) प्रशासनिक समिति

(ङ) साधारण सभा :-

सभा :-

संस्था की आजीवन तथा साधारण सदस्यों को विचारण साधारण सभा का नाम होगा।

बैठक :-

साधारण सभा की साधारण बैठक सत्र में एक बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

सूचना अर्थात् :-

साधारण सभा की साधारण बैठक की सूचना पत्र (1) दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना पत्र (7) दिन पूर्व विहित रूप में दे दी जाएगी।

सभा की शक्तियां :-

संस्था की शक्तियां :-
 1. संस्था की शक्तियां :-
 2. संस्था की शक्तियां :-
 3. संस्था की शक्तियां :-
 4. संस्था की शक्तियां :-
 5. संस्था की शक्तियां :-
 6. संस्था की शक्तियां :-
 7. संस्था की शक्तियां :-
 8. संस्था की शक्तियां :-
 9. संस्था की शक्तियां :-
 10. संस्था की शक्तियां :-

संस्था की शक्तियां :-
 1. संस्था की शक्तियां :-
 2. संस्था की शक्तियां :-
 3. संस्था की शक्तियां :-
 4. संस्था की शक्तियां :-
 5. संस्था की शक्तियां :-
 6. संस्था की शक्तियां :-
 7. संस्था की शक्तियां :-
 8. संस्था की शक्तियां :-
 9. संस्था की शक्तियां :-
 10. संस्था की शक्तियां :-

